

फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्री नेमीचन्द जैन पुत्र श्री रायचन्द

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी

जाति जैन

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

निवासी सिरौही रोड

जिला सिरौही


किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 27 वर्ष 2021

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम को तामिल में जारी हुए
10.03.2021	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 18.01.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि श्री कपूरचंद द्वारा पंचायत निगरानी सं. 07/2008 में प्रस्तुत परिवार दिनांक 11.06.2008 व 07.09.2007 की दो-दो प्रमाणित प्रति एवं एडवोकेट श्री सुरेश शाह द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत कालन्दी को जारी रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 13.08.2007 एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरौही एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति सिरौही को जारी नोटिस दिनांक 14.11.2007 एवं कपूरचंद द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत कालन्दी को जारी पत्र दिनांक 19.06.2020 एवं ग्राम पंचायत कालन्दी द्वारा श्री कपूरचंद पुत्र श्री कानाजी को जारी नोटिस दिनांक 12.11.2007 एवं ग्राम पंचायत कालन्दी को प्रेषित पत्र दिनांक 11.05.2008 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत बरलूट को जारी पत्र दिनांक 18.08.2008 एवं श्री कपूरचंद पुत्र श्री कानाजी द्वारा निगरानी सं. 07/2008 में प्रस्तुत बहस दिनांक 22.09.2008 एवं पारित निर्णय दिनांक 03.11.2008 एवं सम्पूर्ण आर्डर शीट एवं उक्त निगरानी में अधिवक्ता श्री सुरेश सुराणा द्वारा दिए गए जवाब उक्त समस्त की दो-दो प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या 18 दिनांक 04.01.2021 का अध्ययन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 18.01.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि श्री कपूरचंद द्वारा पंचायत निगरानी सं. 07/2008 में प्रस्तुत परिवार दिनांक 11.06.2008 व 07.09.2007 की दो-दो प्रमाणित प्रति एवं एडवोकेट श्री सुरेश शाह द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत कालन्दी को जारी रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 13.08.2007 एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरौही एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति सिरौही को जारी नोटिस दिनांक 14.11.2007 एवं कपूरचंद</p>	

जिला कलक्टर, सिरौही

द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत कालन्दी को जारी पत्र दिनांक 19.06.2020 एवं ग्राम पंचायत कालन्दी द्वारा श्री कपूरचंद पुत्र श्री कानाजी को जारी नोटिस दिनांक 12.11.2007 एवं ग्राम पंचायत कालन्दी को प्रेषित पत्र दिनांक 11.05.2008 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत बरलूट को जारी पत्र दिनांक 18.08.2008 एवं श्री कपूरचंद पुत्र श्री कानाजी द्वारा निगरानी सं. 07/2008 में प्रस्तुत बहस दिनांक 22.09.2008 एवं पारित निर्णय दिनांक 03.11.2008 एवं सम्पूर्ण आर्डर शीट एवं उक्त निगरानी में अधिवक्ता श्री सुरेश सुराणा द्वारा दिए गए जवाब उक्त समस्त की दो-दो प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 193 दिनांक 23.02.2021 को अपीलांट को समस्त सूचना दो प्रतियों में उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

  
(भगवती प्रसाद)  
जिला कलक्टर, सिरौही